Hindi
(Hindi)

CONNECTICUT STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

अंग्रेज़ी शिक्षार्थियों/बहुभाषी शिक्षार्थियों के लिए माता-पिता के अधिकारों का विधेयक

मसौदा कनेक्टिकट राज्य शिक्षा विभाग

P.A.23-150 के सेक्शन 17 के अनुसार, राज्य शिक्षा बोर्ड बहुभाषी विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए अधिकारों के लिखित विधेयक का एक मसौदा तैयार करेगा ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि ऐसे माता-पिता और विद्यार्थियों के अधिकारों को सामान्य अधिनियमों के अध्याय 164 के तहत द्विभाषी शिक्षा के प्रावधान में पर्याप्त रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया गया है और अधिकारों के इस विधेयक को माता-पिता या अभिभावकों की प्रमुख भाषा में साझा किया जाता है।

इसका अर्थ है कि, P.A.23-150 के सेक्शन 17 के अनुसार, राज्य शिक्षा बोर्ड एकाधिक भाषाएं सीख रहे विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों के लिए अधिकारों की एक स्पष्ट सूची बनाएगा। यह सूची सुनिश्चित करेगी कि कनेक्टिकट के सामान्य अधिनियमों (Connecticut General Statutes - C.G.S.) के अध्याय 164 में दिए गए वर्णन अनुसार, विद्यार्थियों को द्विभाषी शिक्षा मिलने पर इन माता-पिता और विद्यार्थियों के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। अधिकारों की यह सूची माता-पिता या अभिभावकों को उस भाषा में दी जाएगी जिसे वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं।

1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले स्कूल वर्ष, और उसके बाद हर स्कूल वर्ष के लिए, द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का कार्यक्रम प्रदान करने वाला हर स्थानीय और क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड:

1. योग्य विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों को ऐसे माता-पिता और अभिभावकों की प्रमुख भाषा में बहुभाषी शिक्षार्थी अधिकारों के विधेयक की एक कॉपी प्रदान करेगा; और
2. बहुभाषी शिक्षार्थी अधिकारों के विधेयक की कॉपी ऐसे बोर्ड की इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर, और आने वाले वर्षों में, द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी प्रोग्राम प्रदान करने वाले हर स्थानीय और क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड को:

1. **योग्य छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों को ऐसे माता-पिता और अभिभावकों को बहुभाषी शिक्षार्थी अधिकारों के विधेयक की एक कॉपी उस भाषा में प्रदान करनी होगी जिसे वे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।**
2. **बहुभाषी शिक्षार्थी अधिकारों के इस विधेयक को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।**

ये अंग्रेज़ी सीखने वाले/बहुभाषी शिक्षार्थी अधिकारों के विधेयक की घोषणाएं हैं

1. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को राज्य के किसी पब्लिक स्कूल में जाने का अधिकार, भले ही ऐसे विद्यार्थी की इमिग्रेशन स्थिति या ऐसे विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक की इमिग्रेशन स्थिति कुछ भी हो।

   इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखने वाले या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले किसी व्यक्ति को राज्य के किसी पब्लिक स्कूल में जाने का अधिकार है, भले ही वह छात्र या उसके माता-पिता/अभिभावक प्रवासी हों।

2. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को ऐसे किसी विद्यार्थी को पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाने का अधिकार, इमिग्रेशन दस्तावेज़ जमा करवाने की आवश्यकता के बगैर, जिनमें सोशल सिक्योरिटी नंबर, वीज़ा दस्तावेज़ या नागरिकता का प्रमाण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

   इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीख रहे या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक सोशल सिक्योरिटी नंबर, वीज़ा दस्तावेज़ों या नागरिक होने का प्रमाण जैसे कोई भी दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता के बगैर अपने बच्चे को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं।

3. इस कानून के सेक्शन 18 के अनुसार, अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को अध्यापकों और प्रशासकों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान (A) किसी दुभाषिए द्वारा जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद हो या टेलीफ़ोन द्वारा या किसी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, या (B) राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी इंटरनेट वेबसाइट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन के माध्यम से अनुवाद सेवाएं प्रदान किए जाने का अधिकार, जिनमें पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के प्रशासकों के साथ बैठकें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक ही सीमित नहीं हैं, और ऐसे विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेदार शिक्षा बोर्ड की उचित रूप से दिए गए नोटिस के साथ नियमित या विशेष बैठकें या शिक्षा बोर्ड के किसी सदस्य या सदस्यों के साथ या निर्धारित की गई बैठकें शामिल हैं।

   इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/बहुभाषी शिक्षार्थी को विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान अनुवाद में सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यह सहायता किसी दुभाषिए द्वारा व्यक्तिगत रूप से, फ़ोन पर या कंप्यूटर के माध्यम से दी जा सकती है। यह अध्यापकों और स्कूल के लीडरों के साथ पेरेंट-टीचर मीटिंग या स्कूल के प्रशासकों के साथ मीटिंग जैसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए है। यह इस कानून की एक विशिष्ट धारा के अनुसार है जिसे सेक्शन 18 कहा जाता है।

जारी ▶

4. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले एक विद्यार्थी को स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले द्विभाषी शिक्षा के प्रोग्राम में भाग लेने का अधिकार, जब C.G.S. के सेक्शन 10-17f के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे विद्यार्थी के रूप में बीस या अधिक योग्य विद्यार्थी हों, जिन्हें अंग्रेज़ी के अलावा, किसी अन्य भाषा में प्रभावी होने के तौर पर वर्गीकृत किया गया हो।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/बहुभाषी शिक्षार्थी को स्कूल में ज़रूरी होने पर द्विभाषी शिक्षा प्रोग्राम में शामिल होने का अधिकार है। यह C.G.S. के सेक्शन 10-17f के नियमों पर आधारित है।

5. अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को अंग्रेज़ी और ऐसे माता-पिता या अभिभावक की प्रमुख भाषा, दोनों में इस विषय पर लिखित नोटिस प्राप्त करने का अधिकार, कि ऐसा छात्र स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले द्विभाषी शिक्षा प्रोग्राम या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए योग्य है।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखने वाले या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को अंग्रेज़ी और जिस भाषा में वे सबसे अच्छे हैं, दोनों में ही इस बारे में एक लिखित नोटिस प्राप्त करने का अधिकार है ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि उनका बच्चा डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाली द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में शामिल हो सकता है।

6. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे छात्र और माता-पिता या अभिभावक की प्रमुख भाषा में श्रेष्ठ क्वालिटी वाले ओरिएंटेशन सेशन प्राप्त करने का अधिकार, जो द्विभाषी शिक्षा और एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में भाग लेने से पहले, अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल में राज्य मानकों, टेस्टों और अपेक्षाओं के साथ-साथ द्विभाषी शिक्षा और एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्रामों के लक्ष्यों और ज़रूरतों से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखने वाले विद्यार्थियों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को अपनी सर्वश्रेष्ठ भाषा में सहायक मीटिंग में भाग लेने का अधिकार है। इस मीटिंग का आयोजन स्थानीय स्कूल बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसमें उन्हें राज्य के मानकों, टेस्टों और इस विषय में जानकारी दी जाएगी कि अंग्रेज़ी सीखने वाले या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों से स्कूल में क्या अपेक्षा की जाती है। वे इन प्रोग्रामों में शामिल होने से पहले द्विभाषी शिक्षा और एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी प्रोग्राम के लक्ष्यों और नियमों के बारे में भी जानेंगे।

7. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक को ऐसे छात्र के अंग्रेज़ी भाषा में विकास और अधिग्रहण की प्रगति के विषय में जानकारी मिलने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीख रहे या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले छात्र के माता-पिता या अभिभावक को इस बारे में अपडेट और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि उनका बच्चा अपने अंग्रेज़ी भाषा कौशल को सुधारने में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

8. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी और ऐसे छात्र के माता-पिता या अभिभावक को ऐसे छात्र के अंग्रेज़ी भाषा में विकास और अर्जन पर विचार-विमर्श करने के लिए स्कूल के कर्मचारियों से मिलने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखने वाले या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को इस विषय में स्कूल स्टाफ़ से मिलने का अधिकार है कि विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह से अंग्रेज़ी सीख रहा है और अपने भाषा कौशलों में सुधार कर रहा है।

9. स्थानीय या क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्ताव दिए जाने पर, अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में शामिल किए जाने का अधिकार।

इसका मतलब है कि स्थानीय शिक्षा बोर्ड द्वारा पेशकश किए जाने पर अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/बहुभाषी शिक्षार्थी को द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में शामिल होने का अधिकार है।

10. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को सभी ग्रेड-स्तर के स्कूल प्रोग्रामों तक समान पहुँच प्राप्त होने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को अपने ग्रेड स्तर के लिए स्कूल की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने के समान अवसर मिलने का अधिकार है।

11. एक अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को ग्रेड-स्तर की सभी मुख्य विषय-सामग्री तक समान पहुँच प्राप्त होने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/बहुभाषी शिक्षार्थी को बिल्कुल अन्य छात्रों की तरह ही अपने ग्रेड स्तर पर सभी महत्वपूर्ण विषयों को सीखने का अधिकार है।

12. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी का सालाना भाषा निपुणता टेस्ट देने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी शिक्षार्थी या एक से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति को हर साल यह देखने के लिए एक भाषा टेस्ट देने का अधिकार है कि वह अपने भाषा कौशल में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।

जारी ▶

13. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी का ऐसी किसी भी हस्तक्षेप योजना जिसे स्कूल या स्कूल डिस्ट्रिक्ट सभी विद्यार्थियों को प्रदान करता है, के अनुरूप सहयोग सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार।

इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी शिक्षार्थी/बहुभाषी शिक्षार्थी को अतिरिक्त सहायता (हस्तक्षेप के ज़रिए) प्राप्त करने का अधिकार है जो स्कूल या स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा सभी विद्यार्थियों की सहायता के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना के अनुरूप हो।

14. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी को द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में निरंतर और वार्षिक रूप से नामांकित किए जाने का अधिकार, जब तक ऐसा विद्यार्थी, सामान्य अधिनियमों के सेक्शन 10-17e में परिभाषित किए गए अनुसार, एक योग्य विद्यार्थी बना रहता है।

इसका मतलब है कि एक अंग्रेज़ी शिक्षार्थी या एकाधिक भाषाएं बोलने वाला व्यक्ति, हर साल तब तक द्विभाषी शिक्षा या एक नई भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में रह सकता है, जब तक वह C.G.S. के सेक्शन 10-17e में स्पष्ट किए गए अनुसार, अभी भी योग्य विद्यार्थी है।

15. अंग्रेज़ी सीखने वाले/एकाधिक भाषाएं सीखने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक का ऐसे छात्र या माता-पिता या अभिभावक के लिए उपलब्ध बहुभाषी शिक्षार्थी सेवाएं या विशेष प्रबंध प्राप्त करने के ऐसे छात्र के अधिकार के बारे में किसी भी प्रश्न या चिंताओं के साथ कनेक्टिकट राज्य शिक्षा विभाग (Connecticut State Department of Education) से संपर्क करने का अधिकार, जिसमें ऐसी सेवाएं या विशेष प्रबंध प्रदान करने या सुनिश्चित बनाने में शिक्षा बोर्ड की विफलता के प्रति किसी भी उपाय के विषय में जानकारी भी शामिल है।

इसका मतलब है कि यदि अंग्रेज़ी सीखने वाले या एकाधिक भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी के माता-पिता या अभिभावक के, भाषा सीखने के लिए सेवाएं या सहायता प्राप्त करने के अपने बच्चे के अधिकार के बारे में कोई भी प्रश्न या चिंताएं हैं तो वे कनेक्टिकट राज्य शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि यदि स्कूल बोर्ड उन्हें वे सेवाएं या सहायता प्रदान नहीं करता है जो उन्हें करनी चाहिएं तो वे क्या कर सकते हैं।

कनेक्टिकट राज्य शिक्षा विभाग एक सकारात्मक कार्रवाई/समान अवसर नियोक्ता है।